पत्रांक सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश

एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,

विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर लखनऊ।

दिनांक::लखनऊ::17 मई, 2017

उप निदेशक(रेशम)

फतेहपुर।

सहायक निदेशक(रेशम)

कानपुर नगर, बांदा, उन्नाव, जालौन।

आहरण वितरण अधिकारी

कानपुर नगर, झांसी, फतेहपुर।

रेशम विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-21/2017/179/74-2-2017-13(ब)/2017 दिनांक 18 मई, 2017, के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह हेतु 20,83,000.00 (रूपये बीस लाख तिरासी हजार मात्र) की स्वीकृति अनुदान सं0-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजन -12-एरी रेशम विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत जारी की गयी है। स्वीकृत धनराशि 20,83,000.00 (रूपये बीस लाख तिरासी हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है:-

1. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय की जाय अर्थात किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अर्न्तगत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्यतता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय। आवंटित धनराशि की समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का कडाई से अनुपालन किया जाए।
6. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (माह फरवरी 2018 के अन्तिम सप्ताह) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. उक्त धनराशि अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0 के मानक के अनुरूप व्यय किया जाए।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना -12-एरी रेशम विकास की योजना (जिला योजना) के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-83 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-40 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(पी0सी0चौधरी)
वित्त नियंत्रक

पत्रांक 014 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, चित्रकूट ।
4. अपर मण्डलायुक्त झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, चित्रकूट
5. जिलाधिकारी कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, बॉदा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन।
6. मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, फतेहपुर, बॉदा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन।
7. अनु सचिव, रेशम विकास अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी कानपुर नगर, झांसी, फतेहपुर।
9. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
10. उप निदेशक, रेशम मुख्यालय, लखनऊ
11. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
12. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड कर दे।

(पी0सी0चौधरी)
वित्त नियंत्रक

पत्रांक014 /सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांक::17 ~~जून~~ जुलाई, 2017 का अनुलग्नक

अनुदान सं0- 83- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -789-(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

12-एरी रेशम विकास की योजना(जिला योजना) के अर्न्तगत वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माह हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

(धनराशि रूपये मे)

क्र0 सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	आवंटित धनराशि					योग	पूर्व में आवंटित धनराशि	प्रगामी योग
				02- मजदूरी	29- अनुरक्षण	42- अन्य व्यय	43- सामग्री एवं सम्पूर्ति	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सहायक निदेशक (रेशम)	कानपुर नगर	कानपुर नगर	83000	63000	48000	208000	48000	450000	0	450000
2	सहायक निदेशक (रेशम)	कानपुर देहात	कानपुर नगर	82000	63000	22000	208000	22000	397000	0	397000
3	सहायक निदेशक (रेशम)	उन्नाव	कानपुर नगर	42000	21000	22000	83000	22000	190000	0	190000
4	सहायक निदेशक (रेशम)	बांदा	झांसी	32000	10000	22000	83000	22000	169000	0	169000
5	सहायक निदेशक (रेशम)	हमीरपुर	झांसी	32000	10000	12000	64000	12000	130000	0	130000
6	सहायक निदेशक (रेशम)	चित्रकूट	झांसी	32000	10000	12000	63000	12000	129000	0	129000
7	सहायक निदेशक (रेशम)	जालौन	झांसी	32000	10000	22000	83000	22000	169000	0	169000
8	सहायक निदेशक (रेशम)	फतेहपुर	फतेहपुर	82000	63000	48000	208000	48000	449000	0	449000
	योग			417000	250000	208000	1000000	208000	2083000	0	2083000

(रू0 बीस लाख तिरासी हजार मात्र)

तेरह अंको का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	7	8	9	1	2	0	0

(पी0सी0चौधरी)

वित्त नियंत्रक